



सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा और दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय
लोरडी पण्डितजी, जोधपुर (राज.)-342037

75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav

E-mail: registrar@policeuniversity.ac.in

Website: www.policeuniversity.ac.in

Ref. No.F.2(1)/SPUJ/2013/Admn&Estt/BOM-Vol.-VI

Dated: 06 MAY 2025

—: कार्यवाही विवरण :—

सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा और दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर के प्रबन्ध मण्डल की 20वीं बैठक, दिनांक 02 मई, 2025 को 11.30 बजे माननीय कुलगुरु महोदय की अध्यक्षता में, विश्वविद्यालय के कांफ्रेंस हॉल में आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया:—

1. श्री आलोक त्रिपाठी, माननीय कुलगुरु एवं अध्यक्ष, एसपीयूपी, जोधपुर
2. श्री भेराराम, माननीय विधायक, औसियां।
3. श्री महेन्द्र कुमार खींची, संयुक्त शासन सचिव, गृह (ग्रुप-11) विभाग, जयपुर — ऑनलाइन
(प्रतिनिधि: अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान)
4. श्री विकास कुमार, पुलिस महानिरीक्षक, रेंज जोधपुर, जोधपुर
(प्रतिनिधि : महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर)
5. श्री ओमेन्द्र भारद्वाज, पूर्व महानिदेशक पुलिस, राजस्थान — ऑनलाइन
6. श्रीमती लता मनोज कुमार, आई.पी.एस., आईजीपी, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर
(प्रतिनिधि : निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर) — ऑनलाइन
7. डॉ. नारायण लाल गुप्ता, प्रोफेसर (फिजिक्स), गवरमेंट कॉलेज, अजमेर — ऑनलाइन
8. प्रो. अशोक शर्मा, पूर्व कुलगुरु, वर्द्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
9. डॉ. ए.के. गहलोत, पूर्व कुलगुरु, RAJUVAS, बीकानेर
10. प्रो. अविनाश कुमार अग्रवाल, निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर — ऑनलाइन
11. प्रो. हरप्रीत कौर, कुलपति, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर — ऑनलाइन
12. डॉ. शिल्पा सिंह, आई.ए.एस., कुलसचिव एवं सदस्य सचिव, एसपीयूपी, जोधपुर

बैठक में निम्न सदस्य अनुपस्थित रहे :—

1. श्री राजेन्द्र सिंह, आई.पी.एस., प्रति कुलगुरु एसपीयूपी, जोधपुर
2. श्री अर्जुन लाल, माननीय विधायक, बिलाड़ा
3. कोषाधिकारी (शहर), जोधपुर (प्रतिनिधि : प्रमुख शासन सचिव, राजस्थान सरकार)
4. प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Shilpa Singh
 Designation: Registrar
 Date: 2025.05.05 12:58:04 IST
 Reason: Approved



सर्वप्रथम माननीय कुलगुरु महोदय ने प्रबन्ध मण्डल के उपस्थित (Online/Offline) सदस्यों का स्वागत किया। माननीय कुलगुरु महोदय ने सदस्यों की अनुमति उपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई। बैठक में एजेन्डा बिन्दुओं पर विस्तृत विचार-विमर्श कर, निम्नानुसार निर्णय लिये गये :—

बिन्दू संख्या- 01	: विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड की 19वीं बैठक दिनांक 01 जुलाई, 2024 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन। निर्णय : प्रबन्ध बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से प्रबन्ध बोर्ड की 19वीं बैठक दिनांक 01 जुलाई, 2024 के कार्यवाही विवरणका अनुमोदन सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से किया गया।
बिन्दू संख्या - 02	: विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड की 19वीं बैठक दिनांक 01 जुलाई, 2024 के कार्यवाही विवरण के अनुसार की गई अनुपालना का विवरण। निर्णय : प्रबन्ध बोर्ड की 19वीं बैठक दिनांक 01 जुलाई, 2024 के कार्यवाही विवरणानुसार अनुपालना प्रतिवेदन का अनुमोदन सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से किया गया।
बिन्दू संख्या - 03	: दिनांक 22 जनवरी, 2025 को आयोजित विश्वविद्यालय के विद्या परिषद् की 22वीं बैठक के कार्यवाही विवरण पर विचार। प्रो. अविनाश कुमार अग्रवाल, सदस्य महोदय ने सुझाव दिया कि सेलेबस को फैकल्टी मैम्बर्स के मध्य प्रसारित करना सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है। डॉ. हरप्रीत कौर, सदस्य महोदय ने सुझाव दिया कि प्रत्येक सेमेस्टर के शुरुआत में एवं अंत में कोर्स का प्रजेंटेशन संबंधित विभाग के फैकल्टी मैम्बर्स के मध्य होना चाहिए एवं कोर्स को बेहतर बनाने के लिए विचार-विमर्श कर लागू किया जाना चाहिये। निर्णय : बैठक में विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 22 जनवरी, 2025 के कार्यवाही विवरण का सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
बिन्दू संख्या - 04	: विश्वविद्यालय की तत्कालीन कुलसचिव श्रीमती निर्मला मीना, आईएस (से.नि.) के कार्यकाल में 2.00 करोड़ रुपये के गबन के सम्बन्ध में की गई अद्यतन सूचना/कार्यवाही विवरण पर विचार। माननीय कुलगुरु महोदय द्वारा विश्वविद्यालय की तत्कालीन कुलसचिव श्रीमती निर्मला मीना, आईएस (से.नि.) के कार्यकाल में 2.00 करोड़ रुपये के गबन के सम्बन्ध में की गई अद्यतन जानकारी प्रस्तुत कर दी गई है। वर्तमान में श्रीमती निर्मला मीना के विरुद्ध विभागीय जांच हेतु चार्जशीट प्रस्तुत कर दी गई है। उक्त गबन राशि

Signature valid

Digitally signed by Shilpa Singh

Designation: Registrar

Date: 2025.06.05 12:58:04 IST

Reason: Approved

	की रिकवरी के लिए पेंशन विभाग को भी सूचित किया गया है।
बिन्दू संख्या – 05 :	डॉ. ए. के. गहलोत, पूर्व कुलगुरु, राजस्थान पशु चिकित्सा और विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर को विश्वविद्यालय के परिनियम, आर्डिनेन्सेज एवं सेवा-नियमों के निर्माण हेतु समिति के अध्यक्ष के रूप में मनोनयन हेतु अनुमोदन। डॉ. नारायण लाल गुप्ता, सदस्य महोदय ने कमेटी के अन्य सदस्यों के संबंध में जानकारी चाही गई, जिस पर माननीय कुलगुरु महोदय ने बताया कि विश्वविद्यालय के परिनियम, आर्डिनेन्सेज एवं सेवा-नियमों के निर्माण हेतु दो सदस्यों का मनोनयन किया जायेगा। निर्णय : बैठक में विश्वविद्यालय के परिनियम, आर्डिनेन्सेज एवं सेवा-नियमों के निर्माण हेतु समिति के अध्यक्ष के रूप में सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से डॉ. ए.के. गहलोत, पूर्व कुलगुरु, राजस्थान पशु चिकित्सा और विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर को नामित किये जाने का अनुमोदन किया गया।
बिन्दू संख्या – 06 :	विश्वविद्यालय अधिनियम एवं यूजीसी नियमों के अन्तर्गत गठित अनुसंधान बोर्ड एवं अन्य समितियों के बाह्य सदस्यों के लिए राशि रुपये 3000/- के मानदेय को स्वीकृत किये जाने के प्रकरण पर विचार एवं अनुमोदन। निर्णय : बैठक में विश्वविद्यालय अधिनियम एवं यूजीसी नियमों के अन्तर्गत गठित अनुसंधान बोर्ड, प्राधिकारी एवं अन्य विश्वविद्यालय स्तर पर गठित समितियों के बाह्य सदस्यों के लिए राशि रुपये 5000/- के मानदेय को सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।
बिन्दू संख्या – 07 :	वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.15(1)एफडी/नियम/2017 पार्ट जयपुर, दिनांक 06.10.2023 की पालना में संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति (MACP) योजना को लागू करने हेतु प्रबन्ध बोर्ड द्वारा अनुमोदन। निर्णय : बैठक में वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.15(1)एफडी/नियम/2017 पार्ट जयपुर, दिनांक 06.10.2023 की पालना में संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति (MACP) योजना को लागू करने हेतु सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

Signature valid

Digitally signed by Shilpa Singh
Designation: Registrar
Date: 2025.05.05 18:58:04 IST
Reason: Approved

बिन्दू संख्या – 08	: विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा आचार्य एवं सह आचार्य के स्वीकृत पदों के लिए तैयार किए गए रोस्टर पर विचार एवं अनुमोदन। निर्णय : बैठक में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा आचार्य एवं सह आचार्य के स्वीकृत पदों के लिए तैयार किए गए रोस्टर का सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
बिन्दू संख्या – 09	: विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 की धारा-28(1)(एफ) के प्रावधानान्तर्गत वित्त समिति में प्रबंध बोर्ड के एक अशासकीय सदस्य के मनोनयन पर विचार। निर्णय : बैठक में विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 की धारा-28(1)(एफ) के प्रावधानान्तर्गत वित्त समिति में प्रबंध बोर्ड के एक अशासकीय सदस्य हेतु सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से डॉ. ए.के. गहलोत, पूर्व कुलगुरु, RAJUVAS, बीकानेर का मनोनयन किया गया।
बिन्दू संख्या –10	: विश्वविद्यालय के 04 कार्मिकों द्वारा 10 वर्ष की नियमित सेवा सन्तोषजनक पूर्ण करने के फलस्वरूप प्रथम सुनिश्चित कैरियर प्रगति (ACP) प्रदान किये जाने की सूचना। निर्णय : बैठक में विश्वविद्यालय के 04 कार्मिकों द्वारा 10 वर्ष की नियमित सेवा सन्तोषजनक पूर्ण करने के फलस्वरूप प्रथम सुनिश्चित कैरियर प्रगति (ACP) प्रदान किये जाने की सूचना का अवलोकन कर अभिलिखित किया गया।
बिन्दू संख्या –11	: विश्वविद्यालय में कार्यरत संविदाकर्मी जो केयरटेकर के रूप में कार्य कर रहा है, को अतिरिक्त पारिश्रमिक दिए जाने के प्रस्ताव पर विचार एवं अनुमोदन। निर्णय : बैठक में विश्वविद्यालय में कार्यरत संविदाकर्मी जो केयरटेकर के रूप में कार्य कर रहा है, को अतिरिक्त पारिश्रमिक दिए जाने के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण को विश्वविद्यालय की वित्त समिति से अनुमोदित करवाया जाना चाहिये।
बिन्दू संख्या –12	: विश्वविद्यालय के गैर-शैक्षणिक संवर्ग के पदों के एकाकी पदों के निर्धारण के प्रस्ताव पर विचार एवं अनुमोदन। निर्णय : बैठक में विश्वविद्यालय के गैर-शैक्षणिक संवर्ग के पदों के निम्नलिखित एकाकी पदों के निर्धारण के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। 1. उप कुलसचिव 2. निजी सचिव

Signature valid
Digitally signed by Shilpa Singh
Designation: Registrar
Date: 2025.05.05 12:58:04 IST
Reason: Approved

		3. विधि सहायक
बिन्दू संख्या -13	:	विश्वविद्यालय में वर्ष 2024 में सेवानिवृत्त हुए अधिकारी/कार्मिकों की सूचना। निर्णय : बैठक में विश्वविद्यालय में वर्ष 2024 में सेवानिवृत्त हुए अधिकारी/कार्मिकों की सूचना का सदस्यों ने अवलोकन कर अभिलिखित किया।
बिन्दू संख्या -14	:	विश्वविद्यालय के डिपार्टमेन्टल रिसर्च समिति तथा रिसर्च एडवाइजरी समिति के बाह्य सदस्यों का मानदेय राशि रुपये 2000/-किये जाने के प्रकरण पर विचार एवं अनुमोदन। निर्णय : बैठक में विश्वविद्यालय के डिपार्टमेन्टल रिसर्च समिति तथा रिसर्च एडवाइजरी समिति के बाह्य सदस्यों की मानदेय राशि रुपये 2000/-को अनुमोदित किया गया।
बिन्दू संख्या -15	:	डॉ. विजय सिंह, सहायक आचार्य, (निलंबित) के विरुद्ध आंतरिक शिकायत समिति (ICC) की जांच रिपोर्ट वास्ते विचारण एवं निर्णयार्थ। निर्णय : डॉ. विजय सिंह, सहायक आचार्य, (निलंबित) पर विश्वविद्यालय की छात्राओं द्वारा लगाये गये यौन उत्पीड़न के आरोपों के संबंध में विश्वविद्यालय की आंतरिक शिकायत समिति द्वारा की गई जांच रिपोर्ट को प्रबंध बोर्ड के समक्ष वास्ते विचारण एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया। आंतरिक शिकायत समिति के सदस्यों ने सर्वसम्मति से कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013)के प्रावधानों के तहत प्राप्त शिकायतों को प्रमाणित पाया। माननीय प्रबंध मंडल सदस्यों द्वारा आंतरिक शिकायत समिति से प्राप्त रिपोर्ट पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। डॉ. विजय सिंह, सहायक आचार्य, (निलंबित) द्वारा किये गये कृत्यों, आचरण और व्यवहार को मददेनजर रखते हुए आंतरिक शिकायत समिति द्वारा उनके विरुद्ध लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत दोषी पाये जाने पर अधिकतम बृहद शास्ति (Major Maximum Punishment) की कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा की गई है। प्रबंध मंडल द्वारा सर्वसम्मति से आंतरिक शिकायत समिति की अनुशंसानुसार डॉ. विजय सिंह, सहायक आचार्य, (निलंबित) को सेवा नियमों के प्रावधानानुसार उन्हें विश्वविद्यालय की सेवा से पदच्युत (Dismiss)

Signature valid

Digitally signed by Shilpa Singh

Designation: Registrar

Date: 2025.06.06 12:58:04 IST

Reason: Approved

बिन्दू संख्या -18	: डॉ. मिथिलेश नारायण भट्ट, सहायक आचार्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु विचारण। निर्णय : माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के एल.एल.एम पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष के कुछ छात्र-छात्राओं द्वारा सहायक आचार्य डॉ. मिथिलेश नारायण भट्ट के विरुद्ध ई-मेल के माध्यम से माननीय कुलपति महोदय को गोपनीय शिकायत की गई थी, जिसमे उनके द्वारा आन्तरिक मूल्यांकन अंक कम करने, उपस्थिति कम करने की धमकियां आदि आरोप लगाए गए। इस सम्बन्ध में वाट्सअप ग्रुप की चैट प्राप्त की गई। उक्त वाट्सअप ग्रुप की सामग्री आपत्तिजनक एवं अनर्गल पाई गयी। इस संबंध में पत्र क्रमांक एसपीयूपी/वीसीओ/2024-25/1422 दिनांक 26.03.2025 के तहत डॉ. मिथिलेश नारायण भट्ट को तथ्यात्मक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। इस सम्बंध में सदस्यो को सूचित किया गया कि डॉ. मिथिलेश नारायण भट्ट के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। यह मत भी व्यक्त किया गया कि एल.एल.एम पाठ्यक्रम के छात्र-छात्राओं के नाम गोपनीय रखते हुए डॉ. मिथिलेश नारायण भट्ट, सहायक आचार्य से समस्त शैक्षणिक अधिकार एवं शैक्षणिक दायित्व ले लिये जाकर कार्यवाही की जा सकती है। प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विचारण उपरान्त समुचित कार्यवाही हेतु कुलगुरु को अधिकृत किया।
बिन्दू संख्या -19	: डॉ. मिथिलेश नारायण भट्ट, सहायक आचार्य के विरुद्ध लघुशास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने की सूचना। निर्णय : माननीय सदस्यों को अवगत करवाया गया कि डॉ. मिथिलेश नारायण भट्ट द्वारा फेक ई-मेल आई डी दीपक चाहर के नाम से बनाकर अपने घर पर लगे इंटरनेट का इस्तेमाल कर पूर्व छात्र आनंद कुंदन गुरु की सोशल मीडिया एकाउन्ट एवं वेबसाइट द्वारा दुष्प्रचार हेतु पूर्व छात्र को उत्प्रेरित कर विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा एवं छवि को खराब करने का प्रयास किया गया। एसओजी, राजस्थान पुलिस से प्राप्त जांच रिपोर्ट में उल्लेखित है कि उक्त कृत्य डॉ. मिथिलेश नारायण भट्ट के निवास के इंटरनेट द्वारा किया गया है। उक्त संबंध में डॉ. मिथिलेश नारायण भट्ट को प्रेषित ज्ञापन क्रएसपीयूपी/वीसीओ/2025/1431 दिनांक 4.02.25 में मथुरा जेल भेज दिया गया। अतः इस प्रकरण में समुचित कार्यवाही हेतु कुलगुरु को

Signature valid

Digitally signed by Shilpa Singh
Designation: Registrar

Date: 2025.05.05 12:58:04
Reason: Approved

		अधिकृत किया गया।
बिन्दू संख्या -20	:	विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-25 का विचारण एवं अनुमोदन। निर्णय : बैठक में सर्वसम्मति से वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-25 का अनुमोदन किया गया।

अन्त में धन्यवाद के साथ प्रबंध बोर्ड की बैठक समाप्त हुई।

कुलसचिव,
एसपीयूपी, जोधपुर

Signature valid

Digitally signed by Shilpa Singh
Designation: Registrar
Date: 2025.05.05 19:58:04 IST
Reason: Approved